भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 277*

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

***277. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:**
श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार द्वारा देश भर में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत, योजना से संबंधित केंद्र सरकार का संस्वीकृत, जारी और उपयोग किया गया हिस्सा विशेषत: महाराष्ट्र और पालघर जिले सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना है;

(घ) कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से सशक्त किया गया और इन केंद्रों में कितनी पोषण वाटिका स्थापित की जा रही हैं तथा मध्य प्रदेश राज्य, विशेषकर खुजराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए पौष्टिक चावल और श्रीअन्न का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास अवसंरचना संबंधी कमियों, विशेषत: देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के निर्माण में कमियों को दूर करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो विशेषत: पालघर जिले सहित महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

<u>**"सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" के संबंध में दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 277 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण**</u>

(क) और (ख): 15वें वित्त आयोग में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों को बेहतर पोषण वितरण के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (सभी आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों में 14-18 वर्ष की) के लिए पोषण सहायता, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) [3-6 वर्ष की आयु] आधुनिक तथा उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे के घटकों को पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें योजना के कार्यान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में है।

(ग): मिशन पोषण 2.0 के तहत इस योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के तहत जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण सहायता प्रणालियों को बढ़ाने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का लाभ उठाया है। मंत्रालय ने 1 मार्च, 2021 को 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह ऐप एक महत्वपूर्ण संचालन उपकरण का कार्य करता है जिसका उद्देश्य कुपोषण से निपटने और बाल विकास को बढ़ावा देने के मिशन में सेवा वितरण की दक्षता और जवाबदेही में सुधार लाना है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन के साथ डिजिटल/तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित कर दिया है जिससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी मदद मिली है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के पन्ना, कटनी और छतरपुर में 5267 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में से कुल 5263 एडब्ल्यूसी डिजिटल रूप से सशक्त हैं। मध्य प्रदेश राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 तक सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन के लिए कुल 11706 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है और सक्षम आंगनवाड़ी के तहत विभिन्न घटकों के लिए 6997.45 लाख रुपये की निधि आवंटित की गई है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 35890 पोषण वाटिकाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में 2418 पोषण वाटिकाएं शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के तहत मध्य प्रदेश सरकार को कुल 103566.97 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया है।

(ङ) और (च): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रावधान है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं जिसे निर्धारित लागत साझेदारी अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं जैसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

(एमएसडीपी), आदि से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए निधि प्राप्त करना जारी रखने की सलाह दी गई है। मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए जारी की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

भारतीय सरकार ने विभिन्न बैठकों में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को प्राथमिक स्कूलों में ए.डब्ल्यू.सी. (आंगनवाड़ी केंद्र) को एक साथ रखने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि किराए पर चल रहे ए.डब्ल्यू.सी. सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस हों।

आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की बुनियादी ढांचा सुविधा में सुधार लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं के निर्माण की लागत को बढ़ाकर 17,000 रुपये और शौचालयों के निर्माण की लागत को बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दिया है। शौचालय निर्माण, पेयजल सुविधा के प्रावधान के लिए वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जारी निधि को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं। सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान आवंटित निधि को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक-I

"सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" पर दिनांक 09.08.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 277 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक:

पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के तहत जारी और उपयोग किए गए केंद्रीय अंश का विवरण:

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन पोषण 2.0								
		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24*
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14.98	13.34	16.37	6.37	19.71	13.36	3.85	5.17	12.15
2	आंध्र प्रदेश	825.24	686.20	701.82	763.99	744.60	749.91	827.79	721.45	705.68
3	अरुणाचल प्रदेश	134.71	134.79	82.92	65.01	170.83	230.77	137.78	145.74	162.06
4	असम	1365.53	1241.33	1109.75	1255.72	1319.90	1432.19	1651.63	1717.00	2233.31
5	बिहार	1539.37	1253.87	1288.98	1444.36	1574.43	1608.02	1740.09	1586.61	1859.29
6	चंडीगढ़	17.03	13.30	13.35	16.08	15.32	23.09	33.10	33.10	19.79
7	छत्तीसगढ़	483.88	548.81	513.95	542.07	606.73	522.72	668.96	571.80	579.46
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	17.20	8.24	9.02	9.02	9.33	9.56	5.80	5.80	11.97
9	दिल्ली	133.06	140.49	102.70	139.84	133.11	125.52	182.77	142.84	161.81
10	गोवा	16.02	17.02	20.44	17.46	10.84	12.92	14.71	16.83	13.95
11	गुजरात	854.00	725.25	633.13	873.79	839.86	757.92	912.64	552.30	1126.80
12	हरियाणा	181.00	149.87	185.29	232.54	173.03	146.99	195.25	150.24	225.78
13	हिमाचल प्रदेश	251.82	295.25	258.55	295.89	247.99	386.68	270.24	247.76	301.09
14	जम्मू एवं कश्मीर	332.85	328.31	294.17	450.82	405.74	704.57	479.01	416.23	530.88
15	झारखंड	436.10	455.87	464.33	348.68	352.98	183.30	430.91	596.03	664.30
16	कर्नाटक	861.87	916.51	697.17	1012.84	1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96

17	केरल	321.42	331.23	352.03	384.79	388.23	397.98	444.98	325.43	306.64
18	लद्दाख	0.00	0.00	24.18	24.69	14.70	14.67	18.79	18.79	19.62
19	लक्षद्वीप	2.59	1.27	3.06	2.06	2.11	2.73	0.44	0.44	2.88
20	मध्य प्रदेश	1225.60	1276.10	1238.06	1125.20	1085.47	1055.83	1011.57	1038.67	1123.11
21	महाराष्ट्र	1669.40	1416.45	1205.99	1517.51	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52
22	मणिपुर	162.54	142.27	175.77	148.45	228.92	177.28	135.95	167.74	201.28
23	मेघालय	225.66	181.19	177.92	185.25	173.33	177.86	192.39	200.24	269.69
24	मिजोरम	63.26	56.45	74.60	64.67	59.32	61.57	42.81	46.65	100.27
25	नागालैंड	178.92	169.55	167.23	169.19	159.80	160.21	199.30	190.47	262.91
26	ओडिशा	860.66	892.46	858.68	896.85	1065.98	871.20	923.92	884.92	968.80
27	पुदुच्चेरी	9.86	8.45	4.38	3.50	2.78	6.13	0.12	6.68	4.48
28	पंजाब	201.44	175.11	174.71	207.82	383.52	177.94	75.31	247.25	307.87
29	राजस्थान	673.95	665.42	641.77	702.90	682.65	771.64	974.02	936.17	1091.96
30	सिक्किम	29.47	33.70	24.50	26.06	25.73	24.59	20.33	24.09	33.49
31	तमिलनाडु	764.73	652.94	619.43	695.85	655.38	681.28	766.81	741.30	880.79
32	तेलंगाना	529.96	420.08	405.32	564.04	482.33	479.30	550.69	503.33	507.87
33	त्रिपुरा	166.47	164.05	154.16	177.85	186.72	171.66	150.52	186.55	244.22
34	उत्तर प्रदेश	2544.00	2480.79	2017.49	1925.75	2407.55	2341.91	2721.87	2622.64	2668.69
35	उत्तराखंड	373.96	378.21	327.92	350.07	353.65	336.03	425.84	364.77	288.24
36	पश्चिम बंगाल	1165.26	1321.90	1066.64	897.89	668.35	1378.31	1227.59	1455.89	1237.56
कुल		**18633.81**	**17696.07**	**16105.78**	**17544.87**	**18368.01**	**18789.28**	**19849.82**	**19346.54**	**21741.17**

* वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का उपयोग देय नहीं है

अनुलग्नक-II

"सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" पर दिनांक 09.08.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 277 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक:

मनरेगा के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण:

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गई निधि	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई निधि
1	बिहार	4440.00	0.00
2	छत्तीसगढ़	4680.00	0.00
3	गुजरात	120.00	0.00
4	हरियाणा	0	186.00
5	झारखंड	1776.00	0.00
6	कर्नाटक	960.00	0.00
7	केरल	168.00	0.00
8	मध्य प्रदेश	240.00	0.00
9	ओडिशा	720.00	0.00
10	पंजाब	0.00	187.20
11	राजस्थान	900.00	0.00
12	तमिलनाडु	1440.00	1431.60
13	तेलंगाना	1800.00	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	900.00	0.00
15	उत्तराखंड	7092.00	0.00
16	पुदुच्चेरी	10.80	0.00
17	मणिपुर	0.00	900.00
18	मेघालय	0.00	871.20
19	मिजोरम	0.00	918.00
20	नागालैंड	0.00	266.40
21	त्रिपुरा	0.00	468.00
	कुल	**25246.80**	**5228.40**

अनुलग्नक-III

"सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" पर दिनांक 09.08.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 277 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक:

शौचालय के निर्माण, पेयजल सुविधा के प्रावधान के लिए वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जारी निधि को दर्शाने वाला विवरण:

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2022-23		2023-24	
		शौचालयों का निर्माण	पेयजल सुविधाएं	शौचालयों का निर्माण	पेयजल सुविधाएं
1	आंध्र प्रदेश	1915.34	1127.52	0	0
2	छत्तीसगढ़	385.78	904.52	0	0
3	गोवा	9.94	3.13	0	0
4	गुजरात	297.22	0	0	0
5	हरियाणा	0	0	435.53	0
6	झारखंड	1000.94	1349.12	0	0
7	केरल	0	0	2.16	0
8	मध्य प्रदेश	1074.38	34.93	0	0
9	महाराष्ट्र	510.34	0	2132.28	1782.24
10	ओडिशा	1206.43	0	1252.36	652.53
11	पंजाब	0	0	372.89	0
12	राजस्थान	0	1061.07	0	0
13	तमिलनाडु	0	0	1272.89	665.75
14	तेलंगाना	1381.25	87.82	0	0
15	उत्तर प्रदेश	1216.37	1272.18	0	0
16	उत्तराखंड	0	308.88	0	0
17	पश्चिम बंगाल	0	418.92	0	0
18	अरुणाचल प्रदेश	772.53	0.00	0.00	0.00
19	असम	0	0.00	9516.20	3419.18
20	मणिपुर	1612.87	0.00	0.00	288.09
21	मेघालय	0	0.00	243.32	217.26
22	मिजोरम	0	0.00	65.77	96.24
23	नागालैंड	136.51	0.00	707.94	204.26
24	त्रिपुरा	100.66	0.00	541.72	280.44
	कुल योग	**11620.56**	**6568.09**	**16543.06**	**7605.99**

अनुलग्नक-**IV**

"सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" पर दिनांक 09.08.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 277 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक:

सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान आवंटित निधि को दर्शाने वाला विवरण:

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		उन्नयन हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	आवंटित निधि	उन्नयन हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	आवंटित निधि
1	आंध्र प्रदेश	1105	525.58	1763	1057.8
2	बिहार	3566	1697.77	3550	2130
3	छत्तीसगढ़	4750	1957.92	1740	1044
4	गुजरात	1250	750.00	0	0
5	हरियाणा	10	3.56	0	0
6	हिमाचल प्रदेश	100	72.86	25	22.5
7	जम्मू और कश्मीर	86	69.66	50	45
8	झारखंड	6850	3028.88	0	0
9	कर्नाटक	100	47.39	178	106.8
10	केरल	250	116.12	1710	1026
11	मध्य प्रदेश	2220	1305.85	9486	5691.6
12	महाराष्ट्र	1150	520.47	589	353.4
13	ओडिशा	6000	2920.92	1084	650.4
14	पंजाब	100	56.88	0	0
15	राजस्थान	213	102.93	340	204
16	तमिलनाडु	800	395.76	5590	3354
17	तेलंगाना	500	278.16	3529	2117.4
18	उत्तर प्रदेश	2349	1015.80	17845	10707
19	उत्तराखंड	350	306.04	213	191.7
20	पश्चिम बंगाल	4750	2308.19	609	365.4
21	अरुणाचल प्रदेश	100	71.51	0	0
22	असम	3963	3285.58	815	733.5
23	मणिपुर	30	20.25	0	0

24	मेघालय	100	68.90	8	7.2
25	मिजोरम	100	64.13	988	889.2
26	नागालैंड	100	72.14	49	44.1
27	सिक्किम	100	64.13	335	301.5
28	त्रिपुरा	200	146.25	245	220.5
29	अंडमान एवं निकोबार	0	0	86	86
30	गोवा	0	0	24	14.4
31	पुदुच्चेरी	0	0	65	39
	कुल	**41192**	**21273.63**	**50916**	**31402.4**

*****